

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 635/2012/जयपुर (आरएसटी)

अपील संख्या 636/2012/जयपुर (सीएसटी)

वाणिज्यिक कर अधिकारी

प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत-प्रथम, जयपुर

बनाम

प्रार्थी

मैसर्स साफ्टवर्ल्ड इण्डिया प्रा.लि.

जयपुर

अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री एन.के.बैद

राजकीय उप अभिभाषक

श्री एस.के.जैन

अधिकृत प्रतिनिधि

प्रार्थी की ओर से

अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.3.2015

निर्णय

ये दोनों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) की ओर से उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 504ए/अपील्स-11/ आरएसटी/जयपुर/वि.वृ.राज./2002-03 एवं अपील संख्या 505ए/अपील्स-11/ सीएसटी/जयपुर/वि.वृ.राज./2002-03 में पारित पृथक-पृथक दिनांक 06.09.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। दोनों अपीलों में समान बिन्दु निहित है इसलिए इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियाँ दोनों पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रूप से रखी जायें।

अपील संख्या 635/2010 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 11.11.2001 को किया गया। जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने प्रार्थी द्वारा विकसित UNI SOLVE तथा CROSS साफ्टवेयर को मेडिकल साफ्टवेयर होना माना गया। इसके अतिरिक्त वक्त सर्वेक्षण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसाय स्थल पर संदिग्ध दस्तावेज एवं रिकार्ड भी पाया गया जिन्हें अभिग्रहीत किया गया। उक्त अभिग्रहीत रिकार्ड पर यह पाया गया कि प्रार्थी व्यवसायी द्वारा मेडिकल साफ्टवेयर की बिक्री का काराबार बहुत समय पूर्व से किया जा रहा है तथा गत वर्षों में पंजीयन दायित्व होने के बावजूद प्रार्थी व्यवसायी द्वारा 1.4.2001 से ही पंजीयन प्राप्त किया गया तथा इसे पूर्व की समस्त अवधि के कर दायित्व घोषित नहीं किया जाकर करापवंचन किया गया है। प्रार्थी व्यवसायी द्वारा सही पण्यवर्त तथा पूर्ण कर दायित्व प्रकट नहीं करने पर करवंचना की जा रही है अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 28 के अन्तर्गत कर निर्धारण करने हेतु विशिष्ट नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में बताया गया कि उसके पास अभिग्रहीत

रिकार्ड के अतिरिक्त अन्य कोई रिकार्ड नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसाय स्थल पर पाये गये दस्तावेजों के आधार पर UNI SOLVE तथा CROSS साफ्टवेयर को मेडिकल साफ्टवेयर होना मानकर इन्हें सामान्य दर से कर योग्य माना गया तथा अन्तर कर, सरचार्ज, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गयी। उक्त आदेशों में संशोधन हेतु प्रार्थी व्यवसायी द्वारा धारा 37 के अन्तर्गत संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपील संख्या 321/2010 में रू. 28,02,714.00 की मेडिकल साफ्टवेयर की बिक्री मानते हुए 10 प्रतिशत की दर से कर एवं सरचार्ज रू. 3,22,312.00 आरोपित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने कर का अपवंचन जानबूझकर किये जाने के कारण धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 2,61,900.00 को यथावत रखते हुए शेष शास्ति रू. 3,86,574.00 को अपास्त किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी व्यवसायी द्वारा कर बोर्ड में कर, शास्ति एवं ब्याज के सम्बन्ध में अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड के समक्ष कर एवं ब्याज के बिन्दु पर बल नहीं देने पर इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार करके शास्ति रू. 2,61,900/-के बिन्दु पर अपील अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित की गई।

इसी प्रकार अपील संख्या 636/2012 में रू. 16,21,125.00 की मेडिकल साफ्टवेयर की बिक्री मानते हुए 10 प्रतिशत की दर से कर एवं सरचार्ज रू. 1,86,430.00 आरोपित किया गया। यह अन्तर प्रान्तीय बिक्री कम्प्यूटर साफ्टवेयर की होने से अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (1)एफडी/टैक्स डिवी/2000-284 दिनांक 30.3.200 के अन्तर्गत दो प्रतिशत की दर से कर देय है अतः कर रू. 37,286.00 आरोपित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध उपायुक्त, अपीलस के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उपायुक्त, अपीलस द्वारा कर का अपवंचन जानबूझकर किये जाने के कारण धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 74,572.00 को यथावत रखते हुए शेष शास्ति रू. 2,98,288.00 को अपास्त किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी व्यवसायी को द्वारा कर बोर्ड में कर, शास्ति एवं ब्याज के सम्बन्ध में अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड के समक्ष कर एवं ब्याज के बिन्दु पर बल नहीं देने पर इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार करके शास्ति रू. 2,61,900/-के बिन्दु पर अपील अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित की गई।

अपीलीय अधिकारी द्वारा कर बोर्ड के प्रतिप्रेषित निर्णय दिनांक 21.1.2011 की पालना में अपीलों का निस्तारण करते हुए पृथक-पृथक आदेश दिनांक 06.09.2011 को पारित करते हुए अवधारित किया कि "आंकड़े अपीलार्थी के द्वारा नियमानुसार संधारित लेखा पुस्तकों में बताये गये थे जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोषी मनोभाव प्रतीत नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स

बनाम स्टेट आफ तमिलनाडु एवं अन्य (2009) 23 वी एस टी 249 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय 8 वीएसटी 264 में यह स्पष्ट रूप से सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि संव्यवहार लेखा पुस्तको में दर्ज हों तथा कोई भी दोषी मनोभाव प्रमाणित नहीं किया जावे, शास्ति का आरोपण किया जाना उचित नहीं है", के आधार पर राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की 65 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2011 पारित किये हैं। अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2011 से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से उक्त अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश विधि के विरुद्ध, अविधिक एवं प्रकरण के तथ्यों के विरुद्ध हैं। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय कर बोर्ड के द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2011 पारित किये गये हैं, जो अविधिक है। उन्होंने बताया कि कर योग्य बिक्री होने के समय तक प्रत्यर्थी द्वारा ना तो कोई रिटर्न प्रस्तुत किया गया और ना ही लेखा पुस्तकें प्रस्तुत की गई हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त करना अविधिक है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कोई बिक्री विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं लेखा पुस्तकें मांगे जाने पर भी नियमित लेखा पुस्तकें प्रस्तुत नहीं करने पर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य बिक्री को छिपाया जाना माना जाकर शास्ति आरोपित की गई, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखा गया था, परन्तु कर बोर्ड द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने पर, उसकी पालना में अपीलाधीन आदेश पारित कर आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है, जो अविधिक है, क्योंकि अपीलाधीन आदेशों में शास्ति अपास्त करने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलें स्वीकार कर अपीलाधीन आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 11.11.2001 को किया गया था, जिसमें दिनांक 01.04.2011 से रजिस्ट्रेशन का दायित्व माना गया है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 02.05.2001 को रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन दिया गया था, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी रजिस्ट्रेशन जारी किया गया, जिसका प्रभाव दिनांक

01.04.2001 से माना गया है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा बिक्रीत माल मेडिकल साफ्टवेयर नहीं है बल्कि कम्प्यूटर साफ्टवेयर है। उनका कथन है कि उसके द्वारा बिक्रीत माल पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर 4 प्रतिशत से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है। उनका कथन है कि माननीय कर बोर्ड द्वारा अपील सुनवाई के समय प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के पश्चात निम्न निष्कर्ष देते हुए प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये थे :-

“शास्ति के सम्बन्ध में उपायुक्त,अपील्स के आदेश का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि शास्ति रु. 2,61,900.00 एवं 74,572.00 की पुष्टि करने एवं शास्ति रु. 3,86,574.00 एवं रु. 2,98,288.00 को अपास्त करने के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि शास्ति अपास्त किस आधार पर की गई है और पुष्टि किस आधार पर की गई है इसलिए इस स्तर निष्कर्ष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः शास्ति के बिन्दु पर प्रार्थी व्यवसायी की अपीलें स्वीकार करते हुए ये प्रकरण उपायुक्त,अपील्स को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि वह शास्ति के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन के पश्चात उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त शास्ति के बिन्दु पर पुनः आदेश पारित करें।”

उन्होंने बताया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात निष्कर्ष दिया है कि सभी आंकड़े प्रत्यर्थी व्यवहारी के द्वारा नियमानुसार संधारित लेखा पुस्तकों में बताये गये हैं,जिसमें किसी प्रकार का कोई दोषी मनोभाव प्रतीत नहीं होता है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट आफ तमिलनाडु एवं अन्य (2009) 23 वी एस टी 249 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय 8 वीएसटी 264 में यह स्पष्ट रूप से सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि संव्यवहार लेखा पुस्तको में दर्ज हों तथा कोई भी दोषी मनोभाव प्रमाणित नहीं किया जावे, शास्ति का आरोपण किया जाना उचित नहीं है” के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है,जो पूर्णतः विधिक है। उन्होंने उक्त तर्कों के आधार पर अपीलाधीन आदेशों को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील संख्या 321 व 322 / 2010 / जयपुर प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड द्वारा उक्त अपीलों का निस्तारण दिनांक 21.01.2011 को करते हुए निम्न निष्कर्ष प्रतिपादित करते हुए प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये थे :-



“दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी व्यवसायी की ओर से कर बोर्ड में अपील प्रस्तुत करते समय वैट-29 में कर, ब्याज एवं शास्ति के सम्बन्ध में अपील करना अंकित किया है किन्तु अपील सुनवाई के समय कर एवं ब्याज के बिन्दु पर बल नहीं दिया गया है इसलिए कर एवं ब्याज के बिन्दु पर कोई निर्णय पारित नहीं किया जाता है। प्रार्थी व्यवसायी की ओर से शास्ति के सम्बन्ध में बहस के समय बताया गया कि आक्षेपाधीन प्रकरणों में शास्ति आरोपण का आधार नहीं होने का कथन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी व्यवसायी द्वारा किसी प्रकार का कर का अपवचन नहीं किया गया है और ना ही उसकी ओर से रिटर्नस में कोई गलत विवरण दिया गया है इसलिए शास्तियाँ आरोपित किया जाना अविधिक है। शास्ति के सम्बन्ध में उपायुक्त,अपील्स के आदेश का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि शास्ति रू. 2,61,900.00 एवं 74,572.00 की पुष्टि करने एवं शास्ति रू. 3,86,574.00 एवं रू. 2,98,288.00 को अपास्त करने के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि शास्ति अपास्त किस आधार पर की गई है और पुष्टि किस आधार पर की गई है इसलिए इस स्तर निष्कर्ष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः शास्ति के बिन्दु पर प्रार्थी व्यवसायी की अपीलें स्वीकार करते हुए ये प्रकरण उपायुक्त,अपील्स को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि वह शास्ति के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन के पश्चात उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त शास्ति के बिन्दु पर पुनः आदेश पारित करें। उक्त निर्णय से कर एवं ब्याज के बिन्दु पर उपायुक्त,अपील्स द्वारा पारित आदेश दिनांक 10. 2.2010 पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

उक्त निर्देशों से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी को अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों के सम्बन्ध में आदेश पारित करना था,जिसके सम्बन्ध में दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि सभी आंकड़े प्रत्यर्थी व्यवहारी के द्वारा नियमानुसार संधारित लेखा पुस्तकों में बताये गये है,जिसमें किसी प्रकार का कोई दोषी मनोभाव प्रतीत नहीं होता है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट आफ तमिलनाडु एवं अन्य (2009) 23 वी एस टी 249 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय 8 वीएसटी 264 में यह स्पष्ट रूप से सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि संव्यवहार लेखा पुस्तको में दर्ज हों तथा कोई भी दोषी मनोभाव प्रमाणित नहीं किया जावे, शास्ति का आरोपण किया जाना उचित नहीं है” के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है।”

उक्त निष्कर्ष के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात माना है कि सभी आंकड़े नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है।

यह पीठ प्रकरण के सर्वांगीण तथ्यों पर विचार करने के पश्चात अपीलीय अधिकारी के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं पाती है। फलतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक .06.09.2011 को यथावत रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।


(सुनील शर्मा)
सदस्य